OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE DARBHANGA
13 APR 2017
2935
CONFIDENTIAL SECTION

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता

सत्यमेव जयते

उम्मीदवारों के लिए
सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए
नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता

(अधिसूचना की तिथि से मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक
संबंधित नगरपालिका/निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेंगे।)

भाग-1
(उम्मीदवारों के लिए)

1- सामान्य आचरण :

(1) किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

(3) उपासना के किसी स्थल, यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसके और उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का निरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।

(8) उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत अपराध हों जैसे कि –

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्प्लेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,

(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,

(iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,

(iv) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,

(v) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत माँगना,

(vi) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(vii) मतदान/मतगणना केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय या विश्रृंखल आचरण करना या मतदान/गतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना,

(viii) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना।

(9) मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकत्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

(10) किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टरचिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जानाचाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर-जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(11) किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार या उनके चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए।

(13) मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए।

(14) चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए।

(15) शासकीय/अर्द्धशासकीय परिसदनों, विश्राम गृहों, डाकबंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए।

(16) किसी भी सरकारी /सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चाहरदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा

(i) किसी तरह का पोस्टर/सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए।

(ii) किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए।

(iii) किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जाना चाहिए।

2- सभाएँ :

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।

(2) प्रस्तावित सभा के आयोजन क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुज्ञा सक्षम पदाधिकारी से सभा के पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान / विघ्न उत्पन्न करने/ तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा आयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारिगों की सहायता प्राप्त की जाए, वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएँ की जा रही हों, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

3- जुलूस

(1) किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायगा तथा सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(2) उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गो से ले जायें जिराके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

(3) जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायगी ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(4) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। अगर ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाय।

(5) जूलूस के आयोजकों द्वारा जुलूस को पार करने हेतु आवश्यक व्यवरथा पूर्व रो ही कर ली जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो अथवा उसमें कोई विघ्न नहीं हो। यदि जुलूस काफी लम्बा हो तो उसे टुकड़ों में आयोजित करेंगे ताकि सुविधाजनक कालान्तर में सड़क/ चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो ।

(6) जुलूस को सड़क के यथासंभव दाहिना रखा जायगा तथा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/ कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन किया जाये।

(7) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्गअंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे रो समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये अथवा यातायात बाधित नहीं हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

(8) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(9) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में दहन किये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकत्ताओं को रोकना चाहिए।

4- मतदान के दिन

सभी उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा

(1) चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायगा।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले/बैज या पहचान-पत्र दिया जायेगा।

(3) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

(4) मतदान की तिथि को तथा उसके 24 घंटे पूर्व के दौरान किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य के वितरण से परहेज किया जायेगा। राज्य में पूर्ण शराबबन्दी लागू है, जिसका पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(5) मतदान केन्द्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव अथवा झगड़ा को टाला जा सके।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्याशी का शिविर साधारण हो – किसी प्रकार के पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं हो। शिविर में किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था नहीं की जायगी या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी, तथा

(7) मतदान की तिथि को वाहन परिचालन पर लगाये गये प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जायगा तथा मतदान की तिथि को वाहन परिचालन हेतु सक्षम पदाधिकारी से पूर्व से ही परमिट प्राप्त कर संबंधित वाहन पर सुगोचर स्थान पर चिपकाया जायगा।

5- मतदान कोष्ठ

मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के वैध प्रवेश पत्र के बिना मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेगा।

6- प्रेक्षक

राज्य निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। यदि उम्मीदवार या उनके एजेण्टों को निर्वाचन संचालन संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो, तो वे उसको प्रेक्षक के संज्ञान में लायें।

7- सरकार के पदधारी

नगरपालिका निर्वाचन के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है और विशेष रूप से वे सरकारी वायुयान, वाहन तंत्र एवं मशीनों सहित सरकारी परिवहन और कर्मचारियों का उपयोग अपने हित साधन के लिए नहीं करेंगे।

(क) मंत्रीगण सरकारी दौरों के कार्यक्रम को चुनाव प्रचार अभियान कार्य के साथ मिश्रित नहीं करेंगे तथा सरकारी तंत्र या कार्मिकों का उपयोग चुनाव प्रचार अभियान में नहीं करेंगे।

(ख) समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में राजकोष की लागत पर विज्ञापन निर्गत करने और निर्वाचन अवधि के दौरान सरकार की उपलब्धियों या किसी योजना विशेष के संबंध में राजनीतिक समाचारों और प्रचार के समर्थक विवरण के लिए सरकारी जन माध्यमों के दुरूपयोग का सावधानी पूर्वक परिहार करना होगा।

(ग) निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विवेकाधीन निधि से मंत्रीगण और अधिकारी अनुदान/ भुगतान की स्वीकृति नहीं देंगे और

(घ) निर्वाचन की घोषणा किये जाने के समय से मंत्रीगण और अन्य अधिकारी उन नगरपालिका श्रेत्रों में जहाँ निर्वाचन सम्पन्न कराये जा रहे हैं –

(क) किसी भी रूप में किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा अथवा उसके लिए आश्वासन नहीं देंगे, या

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास आदि नहीं करेंगे, या

(ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं, आदि की व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं देंगे या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई ऐसी तदर्थ नियुक्ति, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतों को प्रभावित करे, नहीं करेंगे।

(ङ) किसी प्रत्याशी या मतदाता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रीगण किसी मतदान केन्द्र अथवा मतगणना-स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे।

(च) निर्वाचन सभाओं का आयोजन करने के सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान आदि और निर्वाचन के संबंध में उड़ानों के लिए हैलीपैड के उपयोग को अपने एकाधिकार में नहीं रखेंगे। सभी प्रत्याशियों को उक्त स्थानों और सुविधाओं के उपयोग की अनुमति समान निर्बंधनों और शर्त्तों पर दी जाएगी।

(छ) विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर केवल सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्थित प्रत्याशियों का एकाधिकार नहीं होगा; सभी प्रत्याशियों को निष्पक्ष ढ़ंग से तथा उपलब्धता के आधार पर उक्त आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

8- सांसदों/विधान मंडल के सदस्यों के लिए

निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक संसद सदस्यों या विधान मंडल सदस्यों द्वारा किसी नगरपालिका क्षेत्र में, जहाँ कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

9- शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध :

(1) सरकार सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या सरकार से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, नगरपालिका के पदधारकों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

(2) निर्वाचन के दौरान चुनाव कार्य अथवा चुनाव सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर भुगतान के आधार पर भी, पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी कार्यो के साथ चुनाव कार्य जोड़ा नहीं जायेगा।

(4) ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यो के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन के माध्यम से करते हों, तो पूरे दौरा को चुनाव कार्य हेतु सम्पन्न किया गया माना जाएगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

भाग-2

1- सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए

1. अधिसूचना की तिथि से मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति/ सहमति प्राप्त किये बिना ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या इस हेतु किसी नयी योजना या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।

2. सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लेकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक यदि कोई मंत्री नगरपालिका क्षेत्रों में निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार देना चाहिए।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपभोग सभी उम्मीदवारों को समान शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए। परन्तु किसी भी उम्मीदवार को ऐसा भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष

/उपाध्यक्षों के लिए परिसदन/निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में राजनैतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के पदधारकों/विधायकों/नगरपालिका के निर्वाचन से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण राम्बन्धी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये कमरे की उपलब्धता के आधार पर ''First come first serve'' की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी परन्तु किसी क्षेत्र विशेष में मतदान समाप्ति के 48 धंटे पूर्व ऐसे आवंटन पर मतदान अथवा पुनर्मतदान होने तक रोक रहेगी।

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री /लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों / सांसदों/विधायकों/राजनैतिक दलों के पदधारकों को परिसदन/निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी आम सभा का आयोजन/चुनाव प्रचार /अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा मानी जानी चाहिए और उस पर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2- नगरपालिका क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वन के लिए

(1) ऐसी सभी योजनाएं, जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिनपर कार्य प्रगति में है, का कार्यान्वयन होता रहेगा।

(2) इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएँ जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है, उस सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(3) केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(4) ऐसी केन्द्रीय योजनाएँ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त होती है, और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है उन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(5) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(6) इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(7) राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(8) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में लेबर की माँग है। जबतक चालू योजनाओं में कार्य दिया जा सकता है तबतक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरम्भ नहीं की जा सकेगी। shelf of

projects की अनुपलब्धता अथवा इसमें उपलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से नई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर सकता है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पावन्दी नही रहेगी।

(10) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

(11) आपात योजनाएँ यथा बाढ निरोधक योजनाओं, सुखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को नगरपालिका निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पावन्दी नहीं रहेगी।

(12) सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(13) सरकारी कार्यालयों की आधुनिकीकरण (जिसमें कम्प्यूटर तथा अन्य मॉडर्न गजट (Gadget) आदि चालू करना शामिल है) आदि पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगा।

(14) विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निरतारण पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(15) पूर्व से स्वीकृत एवं क्रियान्वित हो रही योजनाओं को छोड़कर, ऐसी स्थानीय योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन नगरपालिका द्वारा किया जाता है, और जो ऊपर (1) से (14) की उप कंडिकाओं में शामिल नहीं हैं, उन पर पावन्दी रहेगी।

(16) किसी भी परिस्थिति में किसी योजना को प्रारम्भ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा; योजना का कार्यन्वयन संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से किया जाएगा।

(17) सरकार द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जाती है तो उसका संसूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(18) किसी भी उम्मीदवार द्वारा राज्य में विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति को दर्शाते हुए किसी प्रकार का इश्तहार या विज्ञापनों का प्रसारण समाचार पत्रों या रेडियो/टेलिविजन आदि के माध्यम से नहीं किया जायेगा।

(19) निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होते ही नगरपालिका के प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान पार्षदों एवं मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद द्वारा अपने निर्वाचन की संभावना को लाभ पहुँचाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नई नगरपालिका के गठित होने तक नगरपालिका की किसी बैठक में विकास योजनाओं के कार्यान्यवयन से संबंधित कोई प्रस्ताव न तो पेश किए जाएं, न ही पारित किए जाएं। साथ ही नए व्यय की कोई स्वीकृति नहीं दी जाए। अगर कोई नगरपालिका आयोग के निदेशों के विपरीत आचरण करें, तो इसे कदाचार माना जाएगा एवं सभी संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी:- विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। शहरी क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कलयाण इत्यादि से संबंधित योजनाओं से है। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेंगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्घाटन पर पूर्ण पावन्दी रहेगी।

3- सरकारी सेवको के स्थानान्तरण/पदस्थापन

(1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), अनुमंडल पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा निर्वाचन कार्य में संलग्न अन्य पदाधिकारी के स्थानान्तरण पर पाबन्दी रहेगी।

(2) निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर भी रोक रहेगी।

(3) निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने योग्य पदाधिकारियों /कर्मचारियों (शिक्षक सहित) आदि के पदस्थापन /स्थानान्तरण पर रोक रहेगी।

(4) मेडिकल/पारा मेडिकल तथा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े पदाधिकारियों /कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

टिप्पणी:- यदि प्रशासनिक दृष्टि से चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन /स्थानान्तरण आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पूर्वानुमति राज्य निर्वाचन आयोग से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

भाग-3

नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

नोट :- इस भाग में नगरपालिका से अभिप्राय, यथास्थिति नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत से है।

1. नगरपालिका कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहें हैं।

2. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक :-

(1) नगरपालिका के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए,

(2) नगरपालिका निधि से किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए,

(3) नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए;

(4) नगरपालिका निधि से किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए; वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे कि किसी राड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत (Bitumen) करना या उसमें खडंजे बिछाना; नालियों को पक्का करना; नल जल योजना का विस्तार करना; नये हैंडपंप लगाना या नयी स्ट्रीट लाइट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी स्थानीय योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए;

(5) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए;

(6) नगरपालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैंपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें नगरपालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो;

3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के किसी पदधारी (जैसे कि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगरपालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

अभ्यर्थियों/प्रत्यशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु ''क्या करें'' व ''क्या न करें''।

क्या करें –

1. चल रहे कार्यक्रम जारी रख सकेंगे ।
2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन/ अनुमोदन प्राप्त करें।
3. बाढ, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाए और जारी रखे जायें।
4. गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय या नगद सुविधाऐं उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं।
5. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होने चाहिये।
6. विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध होने चाहिये।
7. अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियॉं, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिये।
8. प्रत्येक व्यक्ति के शांन्तिपूर्ण और निर्विघ्न परिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।
9. प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।
10. यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।
11. प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये अनुमति अवश्य ली जाय।
12. बैठक में गडबडी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय।
13. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा , यह पहले से तय करके पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये।
14. जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहॉं पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।
15. जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।
16. शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।
17. कार्यकर्त्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये।
18. मतदाताओं की जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए।जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिये।
19. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।

20. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो (मुख्य मंत्री, मंत्री, सांसद सदस्य या विधायक आदि) इसे मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेगा।

21. निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों/ रिटर्निंग आफिसर/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/ राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी में लायी जाय।

22. निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश/ निदेश/दिशा-निर्देश का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा किया जायेगा।

क्या ना करें –

1. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/ उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यो में नहीं किया जायेगा। सरकारी वाहनों में (क) ट्रक (ख) लारी (ग) टैम्पो (घ) जीपे (ङ) कारे (च) आटो रिक्सा (छ) बसें (ज) वायुयान (झ) हेलीकापटर (ञ) पानी के जहाज (त) नावें (थ) जलस्पर्शी जहाज और निम्नलिखित से संबंध रखने वाले अन्य सभी वाहन शामिल है।
   - (i) केन्द्र सरकार
   - (ii) राज्य सरकार
   - (iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
   - (iv) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम
   - (v) स्थानीय निकाय
   - (vi) नगरपालिका (यथा, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत)
   - (vii) विपणन बोर्ड (चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाय)
   - (viii) स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा
   - (ix) कोई अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि का एक भाग चाहे कितना भी क्यो न हो, निवेश किया गया हो।
2. सतारूढ दल/ सरकार की उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक कोष के व्यय पर कोई विज्ञापन जारी न करें।
3. किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना आदि न करें।
4. सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्तियॉ न करें।
5. कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगें, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो।
6. सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार/चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जायेगा।
7. वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।
8. निर्वाचकों के जातीय/साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।
9. ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
10. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकत्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।
11. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकत्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।

12. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्वारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जायें।

13. कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियाँ यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास; प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।

14. व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यो के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का उपाय न करें।

15. किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी/ सरकार के उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा/ बैनर लगाने, पोस्टर/ नोटिस चिपकाने नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं ला सकता है।

16. दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।

17. उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभायें आयोजित की जा रही हो, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकाले।

18. जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

19. दूसरे प्रत्याशियों द्वारा जारी पोस्टरों को हटाया या विरूपित नहीं किया जाय।

20. मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रो के निकट, झण्डों प्रतीकों या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाय।

21. स्थाई अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात को 10 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के न किया जाय।

22. संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना लाउडस्पीकरों का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं में भी नहीं किया जायगा। सामान्यतः ऐसी सभाओं/ जुलूसों की अनुमति रात 10.00 बजे बाद नहीं दी जायेगी और यह पुनः स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय अवबोधनों, और अन्य संबंधित बातों जैसे मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा समय आदि के अध्यधीन होगा।

23. निर्वाचनों के दौरान शराब नहीं बांटी जानी चाहिये।

टिप्पणी; उपर्युक्त सूची मात्र उदाहरणात्मक है, विस्तृत तथा अंतिम नहीं है तथा उपर्युक्त विषय पर निर्गत किसी अन्य विस्तृत आदेशों/ निदेशों/ अनुदेशो को प्रतिस्थापित करने के निमित्त नहीं है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह/-
(दुर्गेश नन्दन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक -न.नि.50-21/2017- **1247** पटना, दिनांक - **30.03.2017**

निदेशानुसार प्रतिलिपि मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नगरपालिका निर्वाचन, 2017 की अधिसूचना के साथ ही उपर्युक्त आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी। कृपया जनसम्पर्क विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाये।

ज्ञापांक 404 दिनांक 15/4/2017

प्रतिलिपि [illegible]

D:\pm5\N_E_2017.pmd/146